



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-13052022-235753
CG-DL-W-13052022-235753

xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 7]	नई दिल्ली, मई 1—मई 7, 2022, शनिवार/वैशाख 11,— वैशाख 17, 1944
No. 7]	NEW DELHI, MAY 1—MAY 7, 2022, SATURDAY/VAISAKHA 11,—VAISAKHA 17, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग
आदेश

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2022

आ.अ. 29.— यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1917 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 17-सारंगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी:

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री देवानंद निराला जो छत्तीसगढ़ के 17-सारंगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले भारतीय बहुजन कांग्रेस अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे है।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री देवानंद निराला को कारण बताओ नोटिस दिनांक 06 फरवरी, 2020 को जारी किया गया था:

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 06 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री देवानंद निराला को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें:

और यतः, उक्त नोटिस श्री देवानंद निराला की पत्नी द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2020 को प्राप्त किया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ द्वारा अपने दिनांक 17 फरवरी, 2020 के पत्र क्रमांक/498/कानूनगो/2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है:

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ द्वारा अपने दिनांक 24 फरवरी, 2022 के पत्र सं. 150/निर्वा.पर्य./2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री देवानंद निराला ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है:

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री देवानंद निराला निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1917 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन साल की कालावधि के लिए निरर्हित होगा

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1917 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 17-सारंगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले भारतीय बहुजन कांग्रेस अभ्यर्थी श्री देवानंद निराला, निवासी ग्राम-सिंघनपुर, पो.-पासीद, तह०-सारंगढ़, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. छ.ग./वि.स./पूर्व अनु- 1/17/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 26th April, 2022

O.N. 29.— WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1917, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 17-Sarangarh Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Raigarh District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Devanand Nirala**, a contesting candidate of **Bhartiya Bahujan Congress** from 17-Sarangarh Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Raigarh District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated 06th February, 2020 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, **Sh. Devanand Nirala** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 06th February, 2020, **Sh. Devanand Nirala**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by wife of **Sh. Devanand Nirala**, on 16th February, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Raigarh vide his letter No. क्रमांक/498/कानूनगो/2020 dated, 17th February, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Raigarh vide his letter No. 150/निर्वा./पर्य./2022 dated, 24th February, 2022 has stated that **Sh. Devanand Nirala**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he

has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Devanand Nirala**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1917 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1917, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Devanand Nirala, Vill-Singhanpur, P.O.-Pasid, Tehsil-Sarangarh, Dist- Raigarh, Chhattisgarh** and a contesting candidate of **Bhartiya Bahujan Congress** for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **17-Sarangarh** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. CG-LA/ES-I/17/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA , Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2022

आ.अ. 30.— यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1917 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 17-सारंगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी:

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक **11 जनवरी, 2019** की रिपोर्ट के अनुसार **श्री घुराउ सारथी** जो छत्तीसगढ़ के **17-सारंगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से निर्वाचन लड़ने वाले **निर्दलीय** अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री घुराउ सारथी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 06 फरवरी, 2020 को जारी किया गया था:

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 06 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री घुराउ सारथी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें:

और यतः, उक्त नोटिस श्री घुराउ सारथी की पत्नी द्वारा प्राप्त किया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ द्वारा अपने दिनांक 17 फरवरी, 2020 के पत्र क्रमांक/498/कानूनगो/2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है:

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ द्वारा अपने दिनांक 24 फरवरी, 2022 के पत्र सं. 150/निर्वा.पर्य./2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री घुराउ सारथी ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है:

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री घुराउ सारथी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1917 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन साल की कालावधि के लिए निरर्हित होगा

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1917 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 17-सारंगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री घुराउ सारथी, निवासी ग्राम-मल्दा-ब, पो०-मल्दा-ब, तह०-सारंगढ़, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. छ.ग./वि.स./पूर्व अनु- 1/17/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th April, 2022

O.N. 30.— WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1917, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **17-Sarangarh** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **11th January, 2019** submitted by the District Election Officer, **Raigarh** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु.ई.ई.एम./2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Ghurau Sarthi**, a contesting candidate of **Independent** from **17-Sarangarh** Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Raigarh** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated **06th February, 2020** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, **Sh. Ghurau Sarthi** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **06th February, 2020**, **Sh. Ghurau Sarthi**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by wife of **Sh. Ghurau Sarthi**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Raigarh** vide his letter No. क्रमांक/498/कानूनगो/2020 dated, **17th February, 2020**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Raigarh** vide his letter No. **150/निर्वा./पर्य./2022** dated, **24th February, 2022** has stated that **Sh. Ghurau Sarthi**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Ghurau Sarthi**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1917 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1917, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Ghurau Sarthi, Vill-Malda-B, P.O.- Malda-B, Tehsil-Sarangarh, Dist- Raigarh, Chhattisgarh** and a contesting candidate of **Independent** for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **17-Sarangarh** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. CG-LA/ES-I/17/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2022

आ.अ. 31.— यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1917 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 17-सारंगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी:

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री रवीन्द्र कुमार रात्रे जो छत्तीसगढ़ के 17-सारंगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले सुन्दर समाज पार्टी के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री रवीन्द्र कुमार रात्रे को कारण बताओ नोटिस दिनांक 06 फरवरी, 2020 को जारी किया गया था:

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 06 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री रवीन्द्र कुमार रात्रे को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें:

और यतः, उक्त नोटिस श्री रवीन्द्र कुमार रात्रे द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2020 को प्राप्त किया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ द्वारा अपने दिनांक 17 फरवरी, 2020 के पत्र क्रमांक/498/कानूनगो/2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है:

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ द्वारा अपने दिनांक 24 फरवरी, 2022 के पत्र सं. 150/निर्वा.पर्य./2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री रवीन्द्र कुमार रात्रे ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है:

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री रवीन्द्र कुमार रात्रे निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1917 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

”यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन साल की कालावधि के लिए निरर्हित होगा

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1917 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 17-सारंगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले सुन्दर समाज पार्टी अभ्यर्थी श्री रवीन्द्र कुमार रात्रे, निवासी ग्राम-छिंद, पो०- छिंद, तह०-सारंगढ़, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. स. छ.ग./वि.स./पूर्व अनु- 1/17/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th April, 2022

O.N. 31.— WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1917, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 17-Sarangarh Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Raigarh District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Ravindra Kumar Ratre**, a contesting candidate of **Sundar Samaj Party** from 17-Sarangarh Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Raigarh District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated 06th February, 2020 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, **Sh. Ravindra Kumar Ratre** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 06th February, 2020, **Sh. Ravindra Kumar Ratre**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Ravindra Kumar Ratre**, on **16th February, 2020**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Raigarh** vide his letter No. **क्रमांक/498/कानूनगो/2020** dated, **17th February, 2020**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Raigarh** vide his letter No. **150/निर्वा./पर्य./2022** dated, **24th February, 2022** has stated that **Sh. Ravindra Kumar Ratre**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Ravindra Kumar Ratre**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1917 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1917, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Ravindra Kumar Ratre, Vill-Chhind, P.O.- Chhind, Tehsil-Sarangarh, Dist- Raigarh, Chhattisgarh** and a contesting candidate of **Sundar Samaj Party** for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **17-Sarangarh** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/17/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2022

आ.अ. 32.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1917 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 17-सारंगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी:

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री संतोष कुमार चौहान जो छत्तीसगढ़ के 17-सारंगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से

निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री संतोष कुमार चौहान को कारण बताओ नोटिस दिनांक 06 फरवरी, 2020 को जारी किया गया था:

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 06 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री संतोष कुमार चौहान को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें:

और यतः, उक्त नोटिस श्री संतोष कुमार चौहान द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2020 को प्राप्त किया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ द्वारा अपने दिनांक 17 फरवरी, 2020 के पत्र क्रमांक/498/कानूनगो/2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है:

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ द्वारा अपने दिनांक 24 फरवरी, 2022 के पत्र सं. 150/निर्वा.पर्य./2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री संतोष कुमार चौहान ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है:

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री संतोष कुमार चौहान निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1917 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन साल की कालावधि के लिए निरर्हित होगा

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1917 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 17-सारंगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री संतोष कुमार चौहान, निवासी ग्राम-शिवपुरी, पो०-टमटोरा, तह०-सारंगढ़, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. छ.ग./वि.स./पूर्व अनु- 1/17/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th April, 2022

O.N. 32.— WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1917, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **17-Sarangarh** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **11th January, 2019** submitted by the District Election Officer, **Raigarh** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Santosh Kumar Chouhan**, a contesting candidate of **Independent** from **17-Sarangarh** Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Raigarh** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated **06th February, 2020** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, **Sh. Santosh Kumar Chouhan** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **06th February, 2020**, **Sh. Santosh Kumar Chouhan**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Santosh Kumar Chouhan** on **17th February, 2020**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Raigarh** vide his letter No. क्रमांक/498/कानूनगो/2020 dated, **17th February, 2020**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Raigarh** vide his letter No. **150/निर्वा./पर्य./2022** dated, **24th February, 2022** has stated that **Sh. Santosh Kumar Chouhan**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Santosh Kumar Chouhan**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1917 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1917, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Santosh Kumar Chouhan, Vill-Shivpuri, P.O.- Tamtora, Tehsil-Sarangarh, Dist- Raigarh, Chhattisgarh** and a contesting candidate of **Independent** for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **17-Sarangarh** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. CG-LA/ES-I/17/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2022

आ.अ. 33.— यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1917 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 17-सारंगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी:

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री सुभाष चौहान जो छत्तीसगढ़ के 17-सारंगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले आम आदमी पार्टी अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री सुभाष चौहान को कारण बताओ नोटिस दिनांक 24 जून, 2021 को जारी किया गया था:

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 24 जून, 2021 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री सुभाष चौहान को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें:

और यतः, उक्त नोटिस श्री सुभाष चौहान द्वारा दिनांक 05 अगस्त, 2021 को प्राप्त किया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ द्वारा अपने दिनांक 07 अगस्त 2021 के पत्र सं 0 205/निर्वा.पर्य./2021 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है:

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ द्वारा अपने दिनांक 07 फरवरी, 2022 के पत्र सं. 105/निर्वा.पर्य./2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री सुभाष चौहान ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है:

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सुभाष चौहान निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1917 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन साल की कालावधि के लिए निरर्हित होगा

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1917 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य **17-सारंगढ़** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले **आम आदमी पार्टी** अभ्यर्थी **श्री सुभाष चौहान, ग्राम-कनकीडीपा पो.-बंगाची, तह०-सारंगढ़, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़** को इस आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. छ.ग./वि.स./पूर्व अनु- 1/17/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th April, 2022

O.N. 33.— WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1917, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **17-Sarangarh** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **11th January, 2019** submitted by the District Election Officer, **Raigarh** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Subhash Chouhan**, a contesting candidate of **Aam Adami Party** from **17-Sarangarh** Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Raigarh** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated **24th June, 2021** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, **Sh. Subhash Chouhan** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **24th June, 2021**, **Sh. Subhash Chouhan**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Subhash Chouhan**, on **05th August, 2021**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Raigarh** vide his letter No. **205/निर्वा.पर्य./2021** dated, **07th August, 2021**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Raigarh** vide his letter No. 105/निर्वा./पर्य./2022 dated, **07th February, 2021** has stated that **Sh. Subhash Chouhan**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Subhash Chouhan**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1917 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1917, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Subhash Chouhan, Vill-Kankidipa, P.O.-Bengachi, Tehsil-Sarangarh, Dist- Raigarh, Chhattisgarh** and a contesting candidate of **Aam Adami Party** for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **17-Sarangarh** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/17/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2022

आ.अ. 34.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1902 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 02-मनेन्द्रगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी:

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया, बैकुण्ठपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री दीपक कुमार जो छत्तीसगढ़ के 02-मनेन्द्रगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया, बैकुण्ठपुर छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री दीपक कुमार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 28 अगस्त, 2019 को जारी किया गया था:

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 28 अगस्त, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री दीपक कुमार को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेख न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें:

और यतः, उक्त नोटिस श्री दीपक कुमार द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर, 2019 को प्राप्त किया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया, बैकुण्ठपुर द्वारा अपने दिनांक 14 अक्टूबर, 2019 के पत्र सं. 1044/सामान्य निर्वाचन/नोटिस/2019 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है:

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया, बैकुण्ठपुर द्वारा अपने दिनांक 24 फरवरी, 2022 के पत्र सं. 265/सा.निर्वा./नोटिस/EEM/2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री दीपक कुमार ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है:

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री दीपक कुमार निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1902 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन साल की कालावधि के लिए निरर्हित होगा

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1902 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 02-मनेन्द्रगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री दीपक कुमार, निवासी गेल्लापानी, चिरमिरी, जिला-कोरिया, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. छ.ग./वि.स./पूर्व अनु- 1/02/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th April, 2022

O.N. 34.— WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1902, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **02-Manendragarh** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **11th January, 2019** submitted by the District Election Officer, **Korea, Baikunthpur**, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Deepak Kumar**, an **Independent** contesting candidate from **02-Manendragarh** Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Korea Baikunthpur**, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated **28th August, 2019** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, **Sh. Deepak Kumar** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **28th August, 2019**, **Sh. Deepak Kumar**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Deepak Kumar**, on **10th October, 2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Korea, Baikunthpur** vide his letter No. **1044/सामान्य निर्वाचन/नोटिस/2019** dated, **14th October, 2019**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Korea, Baikunthpur** vide his letter No. **265/सा.निर्वा./नोटिस/EEM/2022** dated, **24th February, 2022** has stated that **Sh. Deepak Kumar**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Deepak Kumar**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1902 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1902, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Deepak Kumar, Gelhapani, Chirmiri, Dist- Korea, Chhattisgarh** and an **Independent** contesting candidate for for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **02-Manendragarh** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/02/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2022

आ.अ. 35.— यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1902 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है।

और यतः, 02-मनेन्द्रगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी:

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया, बैकुण्ठपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री डॉ. फ्लोरेंस नाइटिंगल सागर जो छत्तीसगढ़ के 02-मनेन्द्रगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले जनता दल (यूनाइटेड) के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया, बैकुण्ठपुर छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री डॉ. फ्लोरेंस नाइटिंगल सागर को कारण बताओ नोटिस दिनांक 28 अगस्त, 2019 को जारी किया गया था:

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 28 अगस्त, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री डॉ. फ्लोरेंस नाइटिंगल सागर को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें:

और यतः, उक्त नोटिस श्री डॉ. फ्लोरेंस नाइटिंगल सागर द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर, 2019 को प्राप्त किया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया, बैकुण्ठपुर द्वारा अपने दिनांक 14 अक्टूबर, 2019 के पत्र सं. 1044/सामान्य निर्वाचन/नोटिस/2019 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है:

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया, बैकुण्ठपुर द्वारा अपने दिनांक 24 फरवरी, 2022 के पत्र सं. 265/सा.निर्वा./नोटिस/EEM/2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री डॉ. फ्लोरेंस नाइटिंगल सागर ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है:

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री डॉ. फ्लोरेंस नाइटिंगल सागर निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1902 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन साल की कालावधि के लिए निरर्हित होगा

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1902 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य **02-मनेन्द्रगढ़** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले **जनता दल (यूनाइटेड)** के अभ्यर्थी **श्री डॉ. फ्लोरेस नाइटिंगल सागर**, निवासी **भैंसा दफाई, वार्ड नंबर 17, हल्दीबाड़ी, चिरमिरी, जिला-कोरिया, छत्तीसगढ़** को इस आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. छ.ग./वि.स./पूर्व अनु-1/02/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th April, 2022

O.N. 35.— WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1902, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **02-Manendragarh** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **11th January, 2019** submitted by the District Election Officer, **Korea, Baikunthpur** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Dr. Florence Nightingale Sagar**, a contesting candidate of **Janata Dal (United)** from **02-Manendragarh** Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Korea, Baikunthpur** Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated **28th August, 2019** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, **Sh. Dr. Florence Nightingale Sagar** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **28th August, 2019**, **Sh. Dr. Florence Nightingale Sagar**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Dr. Florence Nightingale Sagar**, on **10th October, 2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Korea, Baikunthpur** vide his letter No. **1044/सामान्य निर्वाचन/नोटिस/2019** dated, **14th October, 2019**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Korea, Baikunthpur** vide his letter No. **265/सा.निर्वा./नोटिस/EEM/2022** dated, **24th February, 2022** has stated that **Sh. Dr. Florence Nightingale Sagar**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Dr. Florence Nightingale Sagar**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1902 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1902, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Dr. Florence Nightingle Sagar, Bhainsa Dafai, Ward No. 17, Haldibadi, Chirmiri, Dist- Korea, Chhattisgarh** and a contesting candidate of **Janata Dal (United)** for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **02-Manendragarh** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/02/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2022

आ.अ. 36.— यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1902 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है।

और यतः, 02-मनेन्द्रगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी:

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया, बैकुण्ठपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री प्रताप सिंह जो छत्तीसगढ़ के 02-मनेन्द्रगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले भारतीय पंचायत पार्टी के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया, बैकुण्ठपुर छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री प्रताप सिंह को कारण बताओ नोटिस दिनांक 28 अगस्त, 2019 को जारी किया गया था:

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक **28 अगस्त, 2019** के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री प्रताप सिंह** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें:

और यतः, उक्त नोटिस **श्री प्रताप सिंह** के भतीजे द्वारा प्राप्त किया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया, बैकुण्ठपुर द्वारा अपने दिनांक **14 अक्टूबर, 2019** के पत्र सं. **1044/सामान्य निर्वाचन/नोटिस/2019** के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है:

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया, बैकुण्ठपुर द्वारा अपने दिनांक **24 फरवरी, 2022** के पत्र सं. **265/सा.निर्वा./नोटिस/EEM/2022** के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री प्रताप सिंह** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है:

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री प्रताप सिंह** निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1902 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन साल की कालावधि के लिए निरर्हित होगा

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1902 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य **02-मनेन्द्रगढ़** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले भारतीय पंचायत पार्टी के अभ्यर्थी **श्री प्रताप सिंह**, निवासी **ग्राम+पो०-खड़गवां, तह०- खड़गवां, जिला-कोरिया, छत्तीसगढ़** को इस आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. छ.ग./वि.स./पूर्व अनु- 1/02/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th April, 2022

O.N. 36.— WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1902, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **02-Manendragarh** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **11th January, 2019** submitted by the District Election Officer, **Korea, Baikunthpur**, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Paratap Singh**, a contesting candidate of **Bhartiya Panchayat Party** from **02-Manendragarh** Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Korea Baikunthpur**, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated **28th August, 2019** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, **Sh. Paratap Singh** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **28th August, 2019**, **Sh. Paratap Singh**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Paratap Singh**, on **09th October, 2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Korea, Baikunthpur** vide his letter No. **1044/सामान्य निर्वाचन/नोटिस/2019** dated, **14th October, 2019**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Korea, Baikunthpur** vide his letter No. **265/सा.निर्वा./नोटिस/EEM/2022** dated, **24th February, 2022** has stated that **Sh. Paratap Singh**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Paratap Singh**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1902 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1902, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Paratap Singh, Vill+Post- Khadgawa, Tehsil- Khadgawa, Dist-Korea, Chhattisgarh** and a contesting candidate of **Bhartiya Panchayat Party** for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **02-Manendragarh** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/02/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.